[भारत के राजपत्रअसाधारण,भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क

अधिसूचना
सं.05/2023-एकीकृत कर

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017का 13) की धारा 16 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 01/2023-एकीकृत कर, तारीख 31 जुलाई, 2023, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3,उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 578 (अ) द्वारा, तारीख 31 जुलाई, 2023 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है,अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,"सभी वस्तुओं और सेवाओं" शब्दों से प्रारंभ होने वाले भाग और "भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता हैः" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा यह 1 अक्तूबर, 2023 से प्रतिस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) सभी माल या सेवाएं (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल के सिवाय) ऐसे माल और सेवाओं के वर्ग के रूप में है जिन्हें एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात किया जा सकेगा और उस पर ऐसे माल या सेवाओं का पूर्तिकार इस प्रकार संदत कर पर प्रतिदाय का दावा कर सकेगा; और

(ii) विशेष आर्थिक जोन में किसी विकासकर्ता या यूनिट,की प्राधिकृत संक्रियाओं कोव्यक्तियों के वर्ग के रूप में कर रहे सभी पूर्तिकार, जो माल या सेवाओं की आपूर्ति (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल के सिवाय) एकीकृत कर के संदाय पर प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे विकासकर्ता या यूनिट को कर सकेंगे तथा उस पर उक्त पूर्तिकार इस प्रकार संदत कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेंगे:

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए :-

(i) पद "प्राधिकृतसंक्रियाओं" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित है,

(ii) पद “विकासकर्ता” का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (छ) में यथापरिभाषित है,

(iii) पद “विशेष आर्थिक जोन” का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में यथापरिभाषित है,

(iv) पद “यूनिट” का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में यथापरिभाषित है ।

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगी ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20001/10/2023-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)
निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 01/2023-एकीकृत कर, तारीख 31 जुलाई, 2023, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3,उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 578 (अ) द्वारा तारीख 31 जुलाई, 2023 को प्रकाशित हुई थी ।